

केन्द्रीयविद्यालयद्वारका रुक्मणी मंदिर के पास द्वारका – 361335(गुजरात) दूरभाष: 02892-236555 फ़ैक्स: 02892-234255 ईमेल: ppl.dwarka@kvs.gov.in वेबसाइट: dwarkagujarat.kvs.ac.in	 <p>केन्द्रीय विद्यालय संगठन</p>	Kendriya Vidyalaya Dwarka Nr. Rukmani Temple Dwarka – 361335 (Gujarat) Tel. No. : 02892-236555 Fax: 02892- 234255 E-Mail: ppl.dwarka@kvs.gov.in Website : dwarakugujarat.kvs.ac.in
---	--	--

: Admission Notice 2023-24:

Registration for Class I (Through Online mode only)	27.03.2023 (Monday) 10.00 AM to 17.04.2023 (Monday) 07.00 PM
Issue of forms and Registration of Class II to IX (offline mode only) as per availability of vacancy in concerned classes	03.04.2023 to 12.04.2023 Timing : 12:00 Noon to 01.30 PM
Registration and admission to class XI (Commerce and Science)	For KV Students -Within in 10 Days after declaration of Result of Class X For Non -KV Students After the admission of KV Students in Class XI
Display of list for Class I Admission	20.04.2023 (Thursday)
Declaration of list for Class II to IX	17.04.2023 (Monday)
Admission of Class II onwards	18.04.2023 (Tuesday) to 29.04.2023 (Saturday)

GENERAL INSTRUCTIONS:

- A child must be at least 06 years old on 31st March 2023 for admission in Class I .
- A child must be 07 years old on 31st March 2023 for admission in Class II and for subsequent classes.
- The admission form is available in the Vidyalaya (for class II onwards only).
- Document (s) required for admission:

For Class I (at the time of admission as filled during online registration by the parent):-

1. Passport size photograph of the child to be pasted on the admission form.
2. Original Date of Birth Certificate issued by the competent authority.
3. Attested copy of Birth Certificate.
4. Copy of filled admission form in all respect.
5. Service certificate, if applicable.
6. Caste Certificate, if applicable.
7. Residential proof.
8. Blood Group report.
9. Declaration of Distance from KV to Home.

For Class II and above

- 1 Passport size photograph of the child to be pasted on the admission form.
 - 2 Original Transfer/School Leaving Certificate/Bonafide of the last attended School.
 - 3 Progress Report /Result of last examination given by the child in the previous school.
 - 4 Duly filled admission form in all respect.
 - 5 Service Certificate, if applicable.
 - 6 Caste Certificate, if applicable.
 - 7 Residential proof.
 - 8 Blood Group report.
 - 9 Declaration of Distance from KV to Home.
- Admission is done on the basis of Priorities based on the service category of the parent. However, there is no restriction for admission to other category also.
 - Reservation of seats for SC/ST/OBC/differently abled children is applicable as per Govt. of India Rules.

FEE AND OTHER CONCESSIONS:

- ❖ No fee to be charged from the children admitted under the 25% quota prescribed under RTE ACT 2009
- ❖ Once the children are admitted in Class I under RTE Act, they will continue to enjoy exemptions till class VIII either in the same KV or any other K V moving on transfer as per RTE Act.
- ❖ Address proof of the parent should be furnished at the time of the registration.
- ❖ The employees who have the facility of fee reimbursement in their departments cannot claim RTE concessions.

(Dr. S. S. Sharma)
I/c Principal

For further details please visit our website: dwarkagujarat.kvs.ac.in

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय
KENDRIYA VIDYALAYA
द्वारका / DWARKA

केंद्रीयविद्यालयद्वारका
रुक्मणी मंदिर के पास
द्वारका - 361335 (गुजरात)
दूरभाष: 02892-236555
फैक्स: 02892-234255
ईमेल: ppl.dwarka@kvs.gov.in
वेबसाइट: dwarkagujarat.kvs.ac.in



Kendriya Vidyalaya Dwarka
Nr. Rukmani Temple
Dwarka - 361335 (Gujarat)
Tel. No. : 02892-236555
Fax: 02892- 234255
E-Mail: ppl.dwarka@kvs.gov.in
Website : dwarakugujarat.kvs.ac.in

: प्रवेश सूचना 2023-24:

कक्षा I के लिए पंजीकरण (केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से)	27.03.2023 (Monday) 10.00 AM to 17.04.2023 (Monday) 07.00 PM
कक्षा II से IX के लिए फॉर्म और पंजीकरण जारी करना (ऑफलाइन मोड के माध्यम से) केवल सम्बंधित कक्षा में रिक्त पद होने पर	03.04.2023 to 12.04.2023 समय 12.00 मध्याह्न 01.30 अपराह्न
ग्यारहवीं कक्षा (वाणिज्य और विज्ञान) में पंजीकरण और प्रवेश	For KV Students - Within in 10 Days after declaration of Result of Class X For Non -KV Students After the admission of KV Students in Class XI
सूची का प्रदर्शन एवं कक्षा I प्रवेश	20.04.2023 (Thursday)
कक्षा II से IX के लिए सूची की घोषणा	17.04.2023 (Monday)
कक्षा II के बाद का प्रवेश	18.04.2023 (Tuesday) to 29.04.2023 (Saturday)

सामान्य निर्देश:

- ❖ कक्षा I में प्रवेश के लिए 31 मार्च 2023 को बच्चे की आयु कम से कम 06 वर्ष होनी चाहिए।
- ❖ कक्षा II और उसके बाद की कक्षाओं में प्रवेश के लिए 31 मार्च 2023 को एक बच्चे की आयु 07 वर्ष होनी चाहिए।
- ❖ प्रवेश प्रपत्र विद्यालय में उपलब्ध है (केवल कक्षा II के बाद के लिए)

प्रवेश के लिए आवश्यक (दस्तावेज):

कक्षा I के लिए (अभिभावक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान भरे गए प्रवेश के समय)

1. प्रवेश पत्र पर बच्चे का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की मूल तिथि।
3. जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
4. सभी तरह से भरे हुए प्रवेश पत्र की प्रति।
5. सेवा प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
6. जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
7. आवासीय प्रमाण।
8. ब्लड ग्रुप रिपोर्ट।
9. केवी से घर तक की दूरी की घोषणा।

कक्षा II और अन्य कक्षा के लिए

1. प्रवेश पत्र पर लगाये जाने हेतु बच्चे की पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
2. मूल स्थानांतरण / स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / अंतिम बार उपस्थित स्कूल का बोनाफाइड।
3. पिछले स्कूल में बच्चे द्वारा दी गई अंतिम परीक्षा की प्रगति रिपोर्ट/ परिणाम।
4. विधिवतरूप से भरा हुआ प्रवेश पत्र।
5. सेवा प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
6. जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।
7. आवासीय प्रमाणपत्र।
8. ब्लड ग्रुप रिपोर्ट।
9. के.वी. से घर की दूरी का प्रमाणपत्र।

- ❖ बच्चे के प्रवेश में अभिभावक की सेवा के वर्ग के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।
- ❖ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विभिन्न विकलांग बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण भारत सरकार के अनुसार लागू है।

शुल्क और अन्य शर्तें:

- ❖ आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित 25% कोटे के तहत भर्ती बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- ❖ आरटीई अधिनियम के तहत एक बार जब बच्चों को कक्षा I में भर्ती हो जाते हैं, तो वे आरटीई अधिनियम के अनुसार स्थानांतरण पर आठवीं कक्षा तक या तो उसी के.वी. या किसी अन्य के.वि. में स्थानांतरण पर छूट का आनंद लेते रहेंगे।
- ❖ पंजीकरण के समय माता-पिता का पता प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए।
- ❖ जिन कर्मचारियों के विभागों में शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा है, वे आर.टी.ई. रियायतों का दावा नहीं कर सकते हैं।


(डॉ सोहन लाल वर्मा)

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय
KENDRIYA VIDYALAY
द्वारका / DWARKA

अधिक जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट dwarkagujarat.kvs.ac.in का अवलोकन करें।